



प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
उ0प्र0, लखनऊ।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 28.05.2026

विषय:- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधीन औषधि संवर्ग के पुनर्गठन/पद सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-डूग/228/2023/3224, दिनांक 27.07.2023, पत्र संख्या-डूग/223/2023/2102, दिनांक 15.05.2024, पत्र संख्या-1/179514/2025/डूग/223/2024, दिनांक 09.06.2025 एवं पत्र संख्या-डूग/223/2023/3240, दिनांक 24.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा विभागीय कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रचलित नियमावलियों में यथावश्यक संशोधन किये जाने एवं विभागीय पुनर्गठन तथा नवीन पदों के सृजन का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु निम्नलिखित तालिका के अनुसार उपायुक्त (औषधि) के 02 पद, जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी के 77 पद एवं औषधि निरीक्षक के 126 पद दिनांक 28.02.2027 तक के लिए, यदि इसके पूर्व बिना किसी सूचना के उन्हें समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश्य वेतन बैण्ड (रुपया)	तत्सदृश्य ग्रेड वेतन (रुपया)	पुनरीक्षित वेतन/वेतन मैट्रिक्स	सृजित नवीन पदों की संख्या
1	उप आयुक्त (औषधि)	वेतन बैण्ड-3	रु0 15600-39100	रु0 7600/-	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800- 2,09,200)	02
2	जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी	वेतन बैण्ड-3	रु0 15600-39100	रु0 5400/-	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56,100- 1,77,500)	77 (जनपदों हेतु 75 एवं मुख्यालय, लखनऊ हेतु 02)
3	औषधि निरीक्षक	वेतन बैण्ड-2	रु0 9300-34800	रु0 4800/-	वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (रु0 47,600- 1,51,100)	126

(1) सृजित पदों हेतु यथाप्रक्रिया (पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती) यथामाध्यम भर्ती/नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) पद सृजन हेतु न्यूनतम वास्तविक कार्यात्मक आवश्यकता, वित्तीय औचित्य एवं मितव्ययिता के सामान्य नियमों तथा विभागीय स्थिति के दृष्टिगत पदों पर नियुक्ति/भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी तथा सामान्य वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन का ध्यान रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3) सृजित होने वाले उक्त पदों के पदनाम/ वेतनमान/भर्ती के स्रोत एवं अर्हता, ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-36, लेखा शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना के सुसंगत इकाईयों से वहन किया जायेगा।

4- उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-16/दस-2026-27, दिनांक 26.05.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5- औषधि निरीक्षक के पूर्व सृजित पदों के अतिरिक्त नवीन सृजित पदों के सापेक्ष जनपदवार एवं आयुक्त कार्यालय/ मण्डलीय कार्यालयों हेतु चिन्हित पदों की सूची संलग्न है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीया,
डा० रोशन जैकब
सचिव।

संख्या-34/2026/1/1345682/2026/88-1099/61/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही को प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखाकार एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- वित्त नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 5- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिजित
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-34/2026/1/1345682/2026/88-1099/61/2023, दिनांक

28 मई, 2025 का संलग्नक:-

**औषधि निरीक्षक के पूर्व सृजित पदों एवं नवीन सृजित पदों के सापेक्ष जनपदवार एवं आयुक्त
कार्यालय/मण्डलीय कार्यालयों हेतु चिन्हित पदों की सूची।**

क्र.	जनपद	जनपद हेतु पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	जनपद हेतु पूर्व में सृजित पदों के अतिरिक्त नवीन सृजित/चिन्हित पदों की संख्या	जनपद हेतु कुल पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1	आगरा	2	3	5
2	फिरोजाबाद	1	1	2
3	मैनपुरी	1	1	2
4	मथुरा	2	1	3
5	अलीगढ़	2	2	4
6	एटा	1	1	2
7	हाथरस	1	1	2
8	कासगंज	1	1	2
9	कानपुर नगर	2	3	5
10	कानपुर देहात	1	1	2
11	कन्नौज	1	1	2
12	औरिया	1	1	2
13	इटावा	1	1	2
14	फर्रुखाबाद	1	1	2
15	बरेली	2	2	4
16	बदायूँ	1	2	3
17	पीलीभीत	1	1	2
18	शाहजहाँपुर	1	2	3
19	मुरादाबाद	2	2	4
20	अमरोहा	1	1	2
21	रामपुर	1	1	2
22	सम्भल	1	1	2
23	बिजनौर	1	2	3
24	मेरठ	2	3	5
25	गौतमबुद्ध नगर	1	4	5
26	गाजियाबाद	2	3	5
27	बागपत	1	1	2
28	बुलन्दशहर	1	2	3
29	हापुड़	1	1	2
30	सहारनपुर	2	2	4
31	मुजफ्फरनगर	1	3	4
32	शामली	1	1	2
33	लखनऊ	2	3	5
34	रायबरेली	1	1	2
35	हरदोई	1	1	2
36	लखीमपुर खीरी	1	3	4
37	उन्नाव	1	1	2
38	सीतापुर	1	1	2
39	गोंडा	1	1	2
40	बहराइच	1	2	3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

41	बलरामपुर	1	2	3
42	श्रावस्ती	1	1	2
43	प्रयागराज	2	2	4
44	प्रतापगढ़	1	1	2
45	कौशाम्बी	1	1	2
46	फतेहपुर	1	1	2
47	अयोध्या	1	2	3
48	अम्बेडकर नगर	1	1	2
49	अमेठी	1	1	2
50	बाराबंकी	1	3	4
51	सुल्तानपुर	1	1	2
52	आजमगढ़	1	2	3
53	बलिया	1	2	3
54	मऊ	1	1	2
55	बस्ती	1	2	3
56	संतकबीर नगर	1	1	2
57	सिद्धार्थ नगर	1	2	3
58	गोरखपुर	2	2	4
59	देवरिया	1	1	2
60	कुशीनगर	1	2	3
61	महराजगंज	1	2	3
62	वाराणसी	2	3	5
63	चन्दौली	1	1	2
64	गाजीपुर	1	1	2
65	जौनपुर	1	2	3
66	मीरजापुर	1	2	3
67	भदोही	1	1	2
68	सोनभद्र	1	1	2
69	झाँसी	2	1	3
70	जालौन	1	1	2
71	ललितपुर	1	1	2
72	बौदा	1	2	3
73	चित्रकूट	1	1	2
74	हमीरपुर	1	1	2
75	महोबा	1	1	2
76	आयुक्त कार्यालय	2	8	10
77	18 मण्डलीय कार्यालय	18	0	18
योग		109	126	235

अभिजित
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।